अध्याय 3
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय 3
अनुपालना लेखापरीक्षा

सार्वजनिक निर्माण विभाग (सा.नि.वि) और जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) के लेनदेनों की लेखापरीक्षा में संसाधन के प्रबंधन की खामियों तथा विनियमन, औचित्यता और मितव्ययता के मापकों की अनुपालना में विफलता के कई दृष्टांत ध्यान में आये हैं। इनको वृहद विषयक शीर्षो के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

जल संसाधन विभाग

3.1.1 अनाधिकृत व्यय

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड-II, भीलवाड़ा द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशानिर्देशों/प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संवेदकों के माध्यम से मरम्मत कार्य सम्पादित कराये गये जिसके परिणामस्वरुप राशि ₹ 4.63 करोड़ के अनाधिकृत व्यय के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढाने के उद्देश्य की प्राप्ति का अभाव रहा।

राजस्थान में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो.), हर घर, जिसका वयस्क सदस्य अकुशल हस्तगत कार्य करने का इच्छुक हो, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रदान करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा के उद्देश्य के लिये फरवरी 2006 से कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना में यह प्रावधान है कि किसी भी कार्य को किसी भी शर्त पर संवेदक के माध्यम से कराने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाडा के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2010) तथा बाद में जनवरी 2011 में एकत्रित सूचना से पता चला कि अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाडा द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृतियों (अप्रैल 2009 मे जुलाई 2009) के आधार पर जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा नहर, एनीकट मरम्मत आदि के 37 कार्यो के लिये ₹ 8.96 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गयीं (अप्रैल 2009 से जुलाई 2009)। उपरोक्त कार्य विभिन्न संवेदकों को जून 2009 से दिसम्बर 2009 के दौरान ₹ 5.99 करोड़ में दिये गये। कार्यो के लिये सामग्री उसी संवेदक द्वारा प्राप्त करनी थी, मण्डल/कार्य स्थल

भण्डार पर लानी थी एवं कार्यों के लिये जारी करनी थी तथा श्रमिकों को संबंधित पंचायत के माध्यम से लगाना तथा उन्हें मस्टर रोल के माध्यम से भुगतान करना था। 37 कार्यों में से 25 कार्य पूर्ण हो गये थे एवं 12 अभी भी चालू थे तथा ₹ 4.63 करोड़ (कुशल श्रमिक भाग: ₹ 0.43 करोड़ तथा सामग्री भाग: ₹ 4.20 करोड़) व्यय किया जा चुका है। यद्यपि, यह देखा गया कि कार्य संवेदकों के द्वारा करवाये गये एवं ना तो कुशल श्रमिक पंचायत के माध्यम से लगाये गये एवं ना ही संवेदक से प्राप्त सामग्री को कार्यस्थल भण्डार में लिया गया। इस प्रकार, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर संवेदकों के द्वारा कार्यों का निष्पादन करवाया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (अगस्त 2011) कि जाँच के बाद दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा (दिसम्बर 2012) कि पंचायत के माध्यम से कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की गैर-उपलब्धता के कारण संवेदकों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन कराया गया एवं उन्हें भुगतान किया गया। उत्तर तर्क संगत नहीं था, क्योंकि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देश किसी भी परिस्थिति में संवेदकों के माध्यम से कार्य कराने को प्रतिबंधित करते हैं।

इस प्रकार, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर संवेदकों के माध्यम से मरम्मत कार्यों का निष्पादन कराये जाने के कारण ₹ 4.63 करोड़ के अनाधिकृत व्यय के अतिरिक्त हर घर के लिये एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढाने के उद्देश्य की प्राप्ति का अभाव रहा।

3.2 सतत् एवं व्यापक अनियमितताऐं

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.2.1 कार्य स्थल की उपलब्धता के बिना सड़क निर्माण का कार्यादेश जारी किया जाना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमो का नियम 351 निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नही करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सोंपा नही गया हो। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग को निषेध करता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.म.ग्रा.स.यो) के दिशा-निर्देश (नवम्बर 2004) निर्दिष्ट करते है कि राज्य सरकार/जिला पंचायत यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि प्रस्तावित

सड़क कार्यों को लेने के लिए भूमि उपलब्ध थी तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत भूमि अवाप्ति के लिए निधियां उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

विवाद से मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना सड़क निर्माण कार्य के आंवटन के सम्बन्ध मे उल्लेख, मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद 3.1.10 मे किया गया था। लोक लेखा समिति की सिफारिश (26 अगस्त 2011) के बावजूद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्यादेश देने के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियो के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी।

वन/निजी भूमि से गुजर रहे सड़क कार्यों को प्रस्तावित व आबंटित करने से अलाभकारी व्यय ₹ 3.44 करोड़।

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो नई सम्पर्क सड़कों[1] के निर्माण एवं सड़को के उन्नयन कार्य बीजापुर से कोरवाफांटा (15 किमी लागत ₹ 4.23 करोड़) तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष XV (आर.आई.डी. एफ. XV) के तहत बावड़ी से केलवा (8.00 किमी.लागत ₹ 0.81 करोड़) की राज्य सरकार द्वारा ₹ 6.93 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (जुलाई 2007 से मई 2009)। अक्टूबर 2007 से जुलाई 2009 के दौरान दिये गये सड़क कार्य, जो मई 2008 से मार्च 2010 के दौरान पूर्ण किये जाने निश्चित थे, जनवरी 2012 को अपूर्ण थे (34.93 कि.मी. मे से 7.28 कि.मी)। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, क्षेत्र जोधपुर, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-पाली तथा जालौर के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रेल-मई 2011 एवं जनवरी 2012) मे प्रकट हुआ कि जुलाई 2007 और जून 2009 के मध्य अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत संदर्भित सड़कों की परियोजना/तकनीकी प्रतिवेदनों में दो नई सम्पर्क सड़कों के लिए भूमि की उपलब्धता दर्शायी गई थी। जबकि बावडी से केलवा सड़क के संरेखण मे निजी भूमि शामिल थी, बीजापुर से कोरवाफांटा तक सड़क के कि.मी. 8/300 से 11/200 एवं 15/800 से 17/600 (4.7 कि.मी) का भाग वन से होकर गुजर रहा था। तथापि राज्य तकनीकी एजेंसी तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशो का उल्लंघन कर प्रस्तावो को स्वीकृति दी। निष्पादन के दौरान, तीन सड़क कार्य[2] भू-स्वामियों द्वारा रोक दिये गये थे (अप्रेल 2008 से सितम्बर 2009 के मध्य), बीजापुर से कोरवाफांटा सड़क कार्य वन विभाग द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा मे रोका गया था (जून 2009)। परिणामस्वरूप, सडक कार्य, जो मई 2008 से मार्च 2010 के मध्य पूर्ण किये जाने लक्षित थे, ₹ 3.44 करोड़ का व्यय करने के बाद भी जनवरी

1. सम्पर्क सड़क भदवाल से कैलाश नगर (4.03 कि.मी.) ₹ 0.63 करोड़ व सांचौर बखासर सड़क कि.मी. 20 से गोदारों की ढाणी (7.90 कि.मी) ₹ 1.26 करोड़ कुल 11.93 कि.मी. लागत ₹ 1.89 करोड़
2. सम्पर्क सड़क भदवाल से कैलाश नगर, सांचौर बखासर सड़क किमी 20 से गोदारो की ढाणी तथा बावड़ी से केलवा

2012 मे अपूर्ण रहे ***(परिशिष्ट 3.1)***। इस प्रकार, लक्षित निवासियों को सड़क से जोड़े जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य सरकार ने निम्नानुसार बताया (नवम्बर 2012)

(i) भदवाल से कैलाश नगर एवं सांचौर बखासर सड़क 20 कि.मी. से गोदारों की ढाणी का निर्मित भाग जनता द्वारा उपयोग में लिया जा रहा था तथा शेष भाग भू-अधिग्रहण के बाद निर्मित होगा।

(ii) ट्रांजेक्ट वाक के समय ग्रामीण, भूमि हस्तांतरण के लिए सहमत थे लेकिन बाद मे इन्कार कर काम बाधित किया। बीजापुर से कोरवाफांटा सड़क के सम्बन्ध मे वन विभाग की अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (नवम्बर 2009), बावड़ी से केलवा के सम्बन्ध मे, सड़क का भाग कि.मी. 2/345 से 3/225 (880 मीटर) खसरा सं. 244 एवं 245 से गुजर रहा था और सड़क के निर्माण कार्य के लिए भूमि के खातेदारो ने आपत्ती की। हालांकि, भूमि राज्य सरकार की थी, राजस्व प्राधिकारियों ने इसे निजी व्यक्तियों के पक्ष मे नियम विरूद्ध हस्तांतरित कर दिया था (जनवरी 1983)। भूमि को मई 2012 मे राज्य सरकार को पुन: स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योकि इन चार सड़को मे जो समस्या का सामना करना पड़ा उसे टाला जा सकता था, यदि विभाग द्वारा ये कार्य प्रारम्भ करने से पहले राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि के स्वामित्व को सत्यापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाती।

रेलवे की जमीन के मध्य से सड़क कार्य कराने के कारण अधूरे रहने से किया गया व्यय ₹ 1.38 करोड़ निष्फल रहना।

- अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बाड़ी से बिजोली के बीच शामिल बसावटों[3] को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण/उन्नयन (8.60 कि.मी. लम्बी) के लिये ₹ 1.49 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2007)। सड़क कार्य एक संवेदक को ₹ 1.62 करोड़ मे आवंटित किया गया (नवम्बर 2007) और अधिशाषी अभियंता (अ.अ.), सा.नि.वि. खण्ड बाड़ी द्वारा कार्यादेश जारी किया गया (दिसम्बर 2007)। हालांकि, जो सड़क कार्य 20 मई 2008 को पूर्ण किया जाना निश्चित किया गया था वह अगस्त 2008 तक ₹ 1.38 करोड़ (85 प्रतिशत) तक व्यय करने के बाद भी अपूर्ण रहा। यद्यपि, तकनीकी रिपोर्ट (परियोजना रिपोर्ट) मे उल्लेख किया गया कि काम के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी।

मुख्य अभियंता प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के अभिलेखो की संवीक्षा (अक्टूबर 2011-दिसम्बर 2011) मे विदित हुआ कि सडक कार्य किमी 0/0 से 0/600 के अलावा ₹ 1.38 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुआ (मार्च 2009)। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा इस भाग मे कार्य करना अनुमत्त नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि तकनीकी प्रतिवेदन मे भूमि की सुनिश्चितता बताना तथ्यात्मक रूप से सही नही था। इस प्रकार ₹ 1.38 करोड़ का खर्च करने के बाद कार्य, जो विचारित था, पूरा नही किया जा सका।

3. बाड़ी, धानोरा, सुरोठी व बिजोली

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुऐ कहा (सितम्बर 2012) कि सड़क कार्य के निर्माण के प्रस्ताव पंचायत समिति, बाड़ी और जिला परिषद, धौलपुर के अनुमोदन मिलने के बाद स्वीकृत किये गये थे और सड़क का पूर्ण किया गया भाग स्थानीय जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उत्तर इस बारे मे चुप था कि परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय रेलवे से सम्बन्धित भूमि का अधिग्रहण क्यो नहीं किया गया था।

भारत सरकार की अनुमति के बिना वन भूमि के मध्य से सड़क का संरेखण प्रस्तावित करना फलतः तीन सड़को का पूर्ण नही होना (₹ 2.53 करोड़) इसके अतिरिक्त, निधियों का अन्य उद्देश्य के लिए विपथन।

- गॉवों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए 'सर्व मौसम सम्पर्क सड़क' उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अगस्त 2005 तथा अप्रेल 2006 मे करौली जिले की पांच सम्पर्क सड़कों, एम.डी.आर.-3 से राहिर (20.80 कि.मी) ₹ 3.60 करोड़, सम्पर्क सड़क पांचनाफांटा से थारकपुरा (3.95 कि.मी) ₹ 0.68 करोड़, सम्पर्क सड़क बाऊवा से नयावास (3.10 कि.मी) ₹ 0.54 करोड़, एस.एच- 25 से बारेड़ (1.30 कि.मी) ₹ 0.39 करोड़ एवं एम.डी.आर.-3 सिगारपुर से गढमंडोरा (3.50 कि.मी) ₹ 0.60 करोड़ के निर्माण के लिऐ ₹ 5.81 करोड़ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किये। सड़क कार्य चार विभिन्न संवेदकों को अगस्त 2006 से मई 2007 तक पूर्ण करने हेतु नवम्बर 2005 से अगस्त 2006 के दौरान आवंटित किये गये।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत करौली के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर-दिसम्बर 2011) मे पता चला कि पांच सम्पर्क सड़को में से दो सम्पर्क सड़कों, एम.डी.आर- 3 सिगारपुर से गढमंडोरा (₹ 0.44 करोड़) तथा एस. एच- 25 से बारेड़ (₹ 0.30 करोड़) अगस्त 2006 से जुलाई 2007 के दौरान ₹ 0.74 करोड़ की लागत से पूर्ण की गयी। शेष तीन सम्पर्क सड़कों एम.डी. आर-3 से राहिर[4] (₹ 1.76 करोड़) सम्पर्क सड़क पांचनाफांटा से थारकपुरा (₹ 0.30 करोड़) एवं सम्पर्क सड़क बाऊवा से नयावास (₹ 0.47 करोड़), ₹ 2.53 करोड़ का व्यय होने के बाद भी मार्च 2012 तक अपूर्ण रही। लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि सम्पर्क सड़क के संरेखण के तथ्य एक सड़क (एम.डी.आर-3 सिगाारपुर से गढमंडोरा) को छोडकर, जो वन क्षेत्र मे पड़ रही थी, विभाग की जानकारी मे कार्य प्रारम्भ होने के बाद ही आया। यह दर्शाता है कि सड़क संरेखण के लिए समुचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था और अधीक्षण अभियंता/ अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना/राज्य तकनीकी एजेन्सी/राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना प्रस्ताव बनाये एवं अनुमोदित किये गये, परिणामस्वरूप सड़क कार्य विलम्बित हुऐ।

4. ये सड़क पहले से ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2007-08 में अनुच्छेद 4.2.4 (₹ 1.57 करोड़ दिसम्बर 2007 को) के रूप में टिप्पणी की जा चुकी थी जो नवम्बर 2011 तक अपूर्ण थी

सभी पांच सड़को के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से 23.914 है. वन भूमि के लिए अनारक्षण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने (फरवरी 2007 से सितम्बर 2008) पर अधीक्षण अभियंता करौली द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से सभी पांच सड़को[5] बाबत वन विभाग को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) राशि ₹ 3.18 करोड़ का भुगतान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर मार्च 2007 से मार्च 2010 के दौरान किया। हालांकि, राशि ₹ 2.42 करोड़ मात्र प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना खाते में वापस किये गये (मार्च 2012)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (नवम्बर 2012) कि वन क्षेत्र में सम्पर्क सड़क के संरेखण के वन क्षेत्र मे होने का तथ्य सड़क कार्यो को आबंटित करने से पहले से ही विभाग की जानकारी में था और तीन सड़के यथा सम्पर्क सड़क राहिर, थारकपुरा तथा नयावास, भारत सरकार से अन्तिम मंजूरी प्राप्त नही होने के कारण अपूर्ण थी। आगे यह भी बताया कि वन विभाग को भुगतान करने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से खर्च राशि सम्पर्क सड़क थारकपुरा एवं नयावास के सम्बन्ध में राज्य योजना के अन्तर्गत ''जमा पत्र'' की प्रत्याशा में समायोजन हेतु लम्बित थी। उत्तर स्वीकार्य नही था, क्योकि सम्पर्क सड़क बारेड तथा गढमंडोरा पूर्ण थी तथा शेष तीन सड़के भारत सरकार की अन्तिम स्वीकृति तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में भूमि के परिवर्तन किये जाने की प्रत्याशा में अपूर्ण रही। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से वन विभाग को किये गये अनाधिकृत भुगतान के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा थारकपुरा तथा नयावास सड़क के लिए अपेक्षित स्वीकृति नही दी गयी हैं। यदि स्थल पर सर्वेक्षण ठीक किया गया होता तो भूमि का विवाद उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार, भारत सरकार की स्वीकृति के बिना वन भूमि से सड़क के संरेखण को प्रस्तावित करने के कारण तीन सड़के पूर्ण नही हुई (₹ 2.53 करोड़)।

वन विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना वन भूमि पर कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण ₹ 1. 13 करोड़ व्यय करने के बाद भी सड़क कार्य अपूर्ण रहना।

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आशा का बास से नाथूसर (9 कि.मी. लम्बी) नई सड़क के कार्य हेतु राज्य सरकार ने ₹ 2.43 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी (अप्रेल 2006)। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग द्वितीय, जयपुर द्वारा ₹ 2.41 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दी गयी (मई 2006)। कार्य एक संवेदक को पांच वर्ष के लिये रखरखाव (₹ 0.15 करोड़) शामिल करते हुए 'जी' अनुसूची से 1.25 प्रतिशत ऊपर पर कुल ₹ 2.49 करोड़ पर दिया गया (जून 2006)। कार्य 10 अप्रेल 2007 तक पूर्ण किया जाना था। संवेदक ने सड़क कार्य निष्पादित किया एवं उसे अप्रेल 2008 तक ₹ 1.12 करोड़ का भुगतान किया गया।

5. सम्पर्क सड़क राहिर, ₹ 1.90 करोड़, सम्पर्क सड़क थारकपुरा: ₹ 0.64 करोड़, सम्पर्क सड़क नयावास ₹ 0.12 करोड़, सम्पर्क सड़क गढमंडोरा : ₹ 0.27 करोड़ तथा सम्पर्क सड़क बारेडा: ₹ 0.25 करोड़

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त अलवर के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला (जुलाई 2011) कि अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, अलवर द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार सड़क संरेक्षण राजस्व रास्ते पर था तथा सड़क निर्माण के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी। हालांकि, 4.010 कि.मी.[6] में संरेक्षण वन क्षेत्र के मध्य से गुजर रहा था और विभाग द्वारा वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यों में लेने के प्रस्ताव ₹ 1.13 करोड़ व्यय करने के बाद अगस्त 2006 में ही वन विभाग को प्रस्तुत किये गये जिससे लक्षित गांवों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। वन विभाग ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया (जनवरी 2009)। जैसा कि सड़क का निर्माण जुलाई 2006 में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना शुरु किया गया था, वन संरक्षक, क्षेत्रीय निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का द्वारा काम बंद करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया (अक्टूबर 2006 एवम् अक्टूबर 2009)। हालांकि, कार्य लगातार जारी रखा गया था एवं संवेदक को ₹ 1.13 करोड़ का भुगतान किया गया (अगस्त 2011)। नवम्बर 2011 में, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग द्वितीय जयपुर ने अनुबंध के दायरे से शेष रहे कार्य को वापस ले लिया।

राज्य सरकार ने कहा (सितम्बर 2012) कि राजस्व रास्ते पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के अनुमोदन के बाद ही सड़क के प्रस्ताव तैयार किये गये थे और निर्मित भाग ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिशाषी अभियंता ने वन से गुजर रही सड़क के निर्माण के लिये विवाद रहित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया था।

इस प्रकार, अपेक्षित अनुमोदन के बिना वन भूमि के मध्य से सड़क का कार्य करने के कारण सड़क अपूर्ण रही तथा लक्षित ग्रामीणों को सर्व मौसम संपर्क उपलब्ध कराने का उद्देश्य ₹ 1.13 करोड़ व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुचित सर्वेक्षण के परिणाम स्वरुप अनुपयुक्त मृदा प्रकृति पर वेन्टेड कॉजवे एवं वन क्षेत्र से गुजर रही सड़क का कार्य प्रारम्भ करने से अलाभकारी व्यय ₹ 2.19 करोड़।

- व्यापार, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिये दो गांवों को सर्व मौसम डामरीकृत सड़क से जोड़ने के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिला सवाईमाधोपुर में डूंगरी से खिदरपुर जादौन (4.30 कि.मी.) सड़क निर्माण हेतु ₹ 1.75 करोड़ की स्वीकृति अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदान की गयी (अगस्त 2005)। अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सवाईमाधोपुर द्वारा बनाये गये कार्य के तकनीकी अनुमानों में बनास नदी पर वेंटेड कॉजवे[7] (625 मीटर)[8] का निर्माण शामिल था।

6. किमी 0/600 से 0/720, किमी 1/300 से 1/900, किमी 2/800 से 5/474, किमी 6/520 से 6/850, किमी 7/308 से 7/484 व किमी 8/035 से 8/145

7. वेन्टेड् कॉजवे क्रास ड्रेनेज संरचना है जिसकी शुरुआत पाइपों, छोटे स्पान स्लेबो या छोटे आरचीज से होती है जिससे मानसून एवं बाढ़ के समय क्रासिंग सुलभ बनाई जाती है।

8. किमी 2/675 से 3/300

कार्य एक ठेकेदार को ₹ 1.37 करोड़ पर 19 जुलाई 2006 तक पूर्ण करने के लिये दिया गया (सितम्बर 2005)। जुलाई 2006 तक संवेदक को 3.075 किमी[9] में सीमेंट कंक्रीट/डामरीकृत (सीसी/बीटी) कार्य तथा एक किमी (3/300 से 4/300) में वाटर बाउन्ड मेकाडम कार्य के निष्पादन के लिये ₹ 0.86 करोड़ का भुगतान किया गया। संवेदक से ₹ 0.51 करोड़ का शेष कार्य वापस ले लिया गया (जनवरी 2010)।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (मार्च-अप्रैल 2011) कि नीव में मृदा की उपयुक्त प्रकृति उपलब्ध नहीं होने के कारण संवेदक, वेंटेड कॉजवे (625 मी.) का कार्य निष्पादित नहीं कर सका। इसके अलावा, डामरीकरण कार्य 3/300 से 4/300 में भी निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि वेंटेड कॉजवे निर्मित नहीं होने से नदी के पार डामर एवं सामग्री का परिवहन संभव नहीं था। इस प्रकार, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सवाई माधोपुर ने स्थान का समुचित सर्वेक्षण कराये बिना कार्य प्रस्तावित किया जिससे कार्य के अपूर्ण स्तर पर वापसी तथा सड़क के अपूर्ण रहने से लक्षित ग्रामीण सर्व मौसमी संपर्क सुविधा से वंचित रहे एवं ₹ 0.86 करोड़ का व्यय भी अलाभकारी सिद्ध हुआ।

सवाई माधोपुर जिले में कस्बा खण्डार से भूरी पहाड़ी तक 15.38 कि.मी.[10] उन्नयन कार्य हेतु अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, सवाई माधोपुर के प्रस्तावों के आधार पर ₹ 7.61 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (फरवरी 2009)। इसमें डूंगरी से खिदरपुर जादौन सड़क का शेष कार्य (वेंटेड कॉजवे तथा एक कि.मी. में डामरीकरण कार्य) शामिल था। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक संवेदक को जून 2010 तक कार्य पूरा करने की शर्त के साथ कार्य ₹ 6.54 करोड़ में दिया गया (जुलाई 2009)। कार्य के निष्पादन के दौरान उपवन संरक्षक तथा उप निदेशक, कोर क्षेत्र, रणथम्भोर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर ने अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर को काम बंद करने हेतु निर्देशित किया क्योकि 7.700 कि.मी.[11] में सड़क का संरेखण रणथम्भोर बाघ संरक्षण क्षेत्र में पड़ रहा था। तद्नुसार, संवेदक ने काम बंद कर दिया तथा मुख्य अभियंता ने अनुबंध समाप्त करने का अनुमोदन किया (नवंबर 2010)। संवेदक को उसके द्वारा कि.मी. 26/10 से 30/05 की पहुंच में किये गये कार्य के लिये ₹ 1.33 करोड़ का भुगतान किया गया था (सितम्बर 2011)।

राज्य सरकार का उत्तर (सितम्बर 2012) कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण क्रास ड्रेनेज कार्य 625 मीटर के स्थान पर 300 मीटर में प्रस्तावित किया गया था, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तकनीकी अनुमानों में, 625 मीटर में क्राम ड्रेनेज कार्य

9. सीसी: 0/0 से 1/0 किमी व 4/300 से 4/700 किमी, बीटी: 1/0 से 2/675 किमी
10. चेनेज 9/0 से 12/625, 15/600 से 23/300 व 26/0 से 30/050
11. सांवटा से तलवाड़ा गांव के मध्य किमी 15/600 से 23/300

प्रस्तावित था एवं तद्नुसार ही निधियां स्वीकृत की गयी थी। कस्बा खंडार से भूरी पहाड़ी के संबंध में बताया गया कि विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के समय पर्याप्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी थी लेकिन वन विभाग के कार्य बंद कर देने के बाद कार्य को अपूर्ण स्तर पर अंतिम रूप दे दिया गया था। उत्तर से पुष्टि हुई कि सड़क का कार्य देने से पहले समुचित सर्वेक्षण नहीं कराया गया एवं भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित नहीं किया गया। वन विभाग से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के लिये कार्यवाही देरी से (25 जनवरी 2010) शुरु की गयी थी तथा अनुमति अभी तक प्रतीक्षित थी। इसके अलावा, डूंगरी से खिदरपुर सड़क कार्य के संबंध में व्यय नहीं की गई राशि ₹ 0.89 करोड़ को भी समर्पित नहीं किया गया था (फरवरी 2009 से सितम्बर 2012 तक)।

इस प्रकार, अनुचित सर्वेक्षण, वेंटेड कॉजवे का कार्य अनुपयुक्त मृदाप्रकृति पर तथा सड़क कार्य वन क्षेत्र में होते हुए प्रारंभ करने के कारण ₹ 2.19 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। जिससे सड़क अधूरी रहीं, लक्षित गांव सर्व मौसम संपर्क सुविधा से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, ₹ 7.17 करोड़[12], राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के पास अक्टूबर 2011 से अनुपयोगी पड़े थे।

3.3 शासन की विफलता/दृष्टिचूक

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.3.1 आवास निर्माण पर अलाभकारी व्यय

निविदा देने के बाद कार्य के निर्माण की गैर-न्यायोचित लागत के परिणामस्वरूप नियोजित 48 के विरूद्ध केवल 26 आवासीय क्वार्टर्स का ही निर्माण हुआ। इन 26 आवासो में दो वर्षो से बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान नही किये जाने से ₹ 2.15 करोड़ का निवेश अनुत्पादक रहा।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 298 एवं 351 निर्धारित करते हैं कि भूमि का अधिग्रहण समय से पूर्व कर लेना चाहिए तथा ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक रुप से सौंपा नहीं गया हो।

12. डूगंरी से खिदरपुर जादौन; ₹ 1.75 करोड़ (-) ₹ 0.86 करोड़ = ₹ 0.89 करोड़ व कस्बा खंडार से भूरी पहाड़ी: ₹ 7.61 करोड़ (-) ₹ 1.33 करोड़ = ₹ 6.28 करोड़।

राज्य सरकार द्वारा करौली में 48 आवासों[13] के निर्माण हेतु राशि ₹ 2.84 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (सितम्बर 2005)। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग, भरतपुर द्वारा राशि ₹ 2.84 करोड़[14] की तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी (जनवरी 2006)। कार्यादेश एक संवेदक को 24 जनवरी 2007 को पूर्ण करने की शर्त के साथ 'जी' अनुसूची (₹ 2.27 करोड़) से 9.70 प्रतिशत ऊपर पर कुल ₹ 2.50 करोड़ पर जारी किया गया (फरवरी 2006)।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, करौली के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2012) में प्रकट हुआ कि उप वन संरक्षक, करौली द्वारा आपत्ति उठाने (मार्च 2006) के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका क्योंकि जिला कलेक्टर, करौली द्वारा आवंटित (सितम्बर 2005) की गयी भूमि वन विभाग की थी। इस कारण से कार्य प्रत्याहरित कर लिया गया (नवम्बर 2007)। इसी बीच जिला कलेक्टर, करौली द्वारा जी ए डी आवासों के निर्माण के लिये एक नया स्थान आवंटित किया गया (अगस्त 2007)। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई तथा कार्य 'जी' अनुसूची से 32.30 प्रतिशत ऊपर (पूर्व की तुलना में 22.60 प्रतिशत ऊपर) कुल ₹ 3.01 करोड़ पर दूसरे संवेदक को इस शर्त के अधीन जारी किया गया (फरवरी 2008) कि व्यय ₹ 2.27 करोड़ पर प्रतिबंधित होना चाहिए। कार्य फरवरी 2009 तक पूर्ण किया जाना था।

हालांकि, कार्य ₹ 2.15 करोड़[15] की लागत में पूर्ण कर दिया गया था (मार्च 2010) लेकिन लागत में वृद्धि तथा व्यय को ₹ 2.27 करोड़ पर सीमित रखे जाने से स्वीकृत 48 के विरुद्ध केवल 26 आवासों को ही पूर्ण किया गया। ये 26 आवास भी संपर्क सड़क, चारदीवारी और मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी की आपूर्ति आदि का प्रावधान नहीं होने के कारण खाली थे (मई 2012)। अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, करौली ने शेष 22 आवासों के निर्माण एवं मूलभूत सुविधाओं के लिये ₹ 5.05 करोड की अतिरिक्त आवश्यकता सहित ₹ 7.89 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रस्ताव पेश किऐ (दिसम्बर 2011)। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मई 2012 तक प्रतीक्षित थी। अधिशाषी अभियंता की यह कार्यवाही कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 286 (2)[16] के प्रावधान

13. टाइप-I: 2; टाइप-II: 8; टाइप-III; 8, टाइप-IV: 18; एवम् टाइप-V: 12; इनमें चारदीवारी, सम्पर्क सड़क, आन्तरिक सड़कें एवम् विकास कार्य आदि के प्रावधान शामिल थे।
14. 48 क्वार्टर्स; ₹ 2.11 करोड़; चारदीवारी: ₹ 0.08 करोड़; विद्युत कार्य; ₹ 0.17 करोड़, सम्पर्क सड़क; ₹ 0.09 करोड़, जल आपूर्ति; ₹ 0.02 करोड़; आकस्मिकता; ₹ 0.02 करोड़; गुण नियंत्रण; ₹ 0.02 करोड़ एवम् प्रोरेटा प्रभार; ₹ 0.33 करोड़।
15. आवासों का निर्माण ₹ 1.83 करोड़; आकस्मिकता एवम् प्रोरेटा प्रभार आदि; ₹ 0.32 करोड़
16. यदि कार्य पर व्यय की राशि बढ़ती है अथवा बढ़ने की संभावना है एवम् राशि प्रशासनिक स्वीकृति से 10 प्रतिशत अधिक है, तो संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक है ।

के अनुरुप भी नहीं थी। ये विभाग के स्तर पर वित्तीय शासन की विफलता को दर्शाता हैं।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुऐ कहा (सितम्बर 2012) कि उच्च निविदा प्रीमियम पर कार्य, सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण दिया गया था तथा पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राशि ₹ 1.10 करोड़ मार्च 2012 में जमा कराई गयी है। उत्तर को तथ्यों की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि निविदा देने के पश्चात् कार्य की लागत में गैर-न्यायोचित कटौती से आवासों की संख्या 48 से 26 हो गई तथा 26 आवासों हेतु भी मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के लिये निधियों का प्रावधान नहीं करने के कारण इन आवासों के भी दो वर्षों से अप्रयुक्त रहने से निवेशित ₹ 2.15 करोड़ अनुत्पादक रहे।

इस प्रकार, कार्य देने से पहले वन भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित नहीं करने, उपयुक्त वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था में और संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में असामान्य देरी से 48 के विरुद्ध केवल 26 आवासों को पूर्ण किया गया। बुनियादी सुविधायें प्रदान नहीं करने के कारण, पूर्ण किये गये आवास अप्रयुक्त रहे तथा निहित व्यय ₹ 2.15 करोड़ अलाभकारी रहा। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से इंगित नहीं हुआ कि आवासों की देखरेख तथा रखरखाव का प्रावधान किया गया था। ऐसे में कार्य में ह्रास की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सामान्य

3.3.2 लेखापरीक्षा आक्षेपों का उत्तर देने का अभाव

लेखापरीक्षा, दक्षता, प्रभावकारिता एवं सुशासन के लिए प्रबंधन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की विफलता, कमजोर शासन को इंगित करती है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 327 (1) के अनुसार विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि अंकेक्षण के बाद एक से तीन वर्षों के मध्य है। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना, अभिलेखों की निर्धारित प्रतिधारण अवधि में करने में असफल रहने से भविष्य में उनके निपटारे की संभावना अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण क्षीण हो जाती है। 31 मार्च 2012 को सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के 1992-93 से 2011-12 (सितम्बर 2011 तक जारी नि.प्र.) की अवधि के दौरान जारी 1,288

निरीक्षण प्रतिवेदनों मे सम्मिलित 5,545 अनुच्छेद निपटारे हेतु निम्नानुसार बकाया थे:

वर्ष	बकाया की संख्या	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2005-06 तक	441	1,326
2006-07	165	593
2007-08	149	519
2008-09	147	695
2009-10	173	927
2010-11	145	961
2011-12 सितम्बर 2011 तक	68	524
योग	**1,288**	**5,545**

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह में तथा लेखापरीक्षा के आगे के आक्षेपों के उत्तर एक पखवाडे में भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय लेखापरीक्षा समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था। नवीनतम अनुदेश जनवरी 2010 में जारी किये गये थे।

जल संसाधन विभाग के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण मे प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2012 को 490 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं इससे संबंधित 1,843 अनुच्छेद बकाया थे। इनमें से 53 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें शामिल 56 अनुच्छेदों का निपटान 10 वर्षो से अधिक समय में भी नहीं किया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गयी अनियमितताऐं, जो कि 31 मार्च 2012 तक लम्बित थी, का श्रेणीवार विवरण

क्रम संख्या	अनियमितता की श्रेणी	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां	38	1,459.04
2.	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियां एवं अधिक भुगतान	153	4,181.91
3.	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	377	23,058.15
4.	परिहार्य/अधिक व्यय	186	21,051.44
5.	निरर्थक/निष्फल व्यय	133	11,759.20
6.	विनियामक प्रकरण	367	58,829.77
7.	निष्क्रिय निवेश/संस्थापना/निधियों का अवरोधन	118	18,324.67
8.	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब	23	2,184.10
9.	उद्देश्यो की प्राप्ति नही होना	45	8,179.05
10.	विविध	403	49,374.86
योग		**1,843**	**1,98,402.19**

बकाया लेखापरीक्षा प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग के प्रमुख शासन सचिव/सचिव तथा वित्त विभाग एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए चार विभागों में लेखापरीक्षा समितियां गठित की गयी। वित्त विभाग ने प्रत्येक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करने के अनुदेश जारी किये (नवम्बर 2004), किन्तु वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं की गई तथा वर्ष 2011-12 के दौरान चार विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की केवल तीन बैठकें ही आयोजित की गयी।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2013) कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों के निपटान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

लेखापरीक्षा, दक्षता, प्रभावकारिता एवं सुशासन के लिए प्रबंधन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, कमजोर शासन को इंगित करती है। सरकार को मामले में ध्यान देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा आक्षेपों का शीघ्र एवं उचित उत्तर देने, चूककर्ता कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं हानियों/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु कार्यविधियां स्थापित कर दी गयी हैं।

(राजेन्द्र चौहान)
प्रधान महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक